इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2020—पौष 13, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

जा. एफ 2-83-17-छब्बीस-2 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2019

मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में:–

1. नियम 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"(ग) 'आयुक्त/संचालक' से अभिप्रेत है, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी"।

2. नियम 3 में, उप–नियम (2) में:–
(1) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"(दो) 'दिव्यांग व्यक्ति' से अभिप्रेत है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय–एक की धारा 2 की उप धारा (य ग) के अधीन उल्लिखित दिव्यांगता के किसी प्रकार में से अधिनियम के अध्याय–एक की धारा 2 के खण्ड (द) में तथा परिभाषित"।
(2) उप–नियम (3) का लोप किया जाए"।

3. नियम 6 में:–
(1) उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थातः–
"(3) कलेक्टर द्वारा पूर्व में अनुमोदित नक्शे तथा विशेषताओं में कलेक्टर की अनुमति के बिना निर्माण एजेंसी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा"।
(2) उप–नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–
"(4) 10.00 लाख रुपए तक के भवनों के निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा तथा 1.00 करोड़ रुपए तक के नवीन निर्माण के लिए आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा प्रशासकीय और वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया जाएगा तथा 1.00 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा"।

(3) उप–नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(7) भवन निर्माण के लिए अनुदान पूर्व में स्वीकृत की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र, फोटोग्राफ तथा निर्धारण पत्र के आधार पर निराश्रित निधि ई–भुगतान तथा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रकिया के अनुसार, ई पी ओ द्वारा या चैक द्वारा 40:40:20 की तीन किश्तों में स्वीकृत किया जाएगा"।

4. नियम 8 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) निराश्रितों के लिए वृद्धाश्रम/विशेष स्कूल/छात्रावास और केन्द्रों की स्थापना करते समय फर्नीचर, पलंग,बिस्तर, टेबल, कुर्सी, खाना पकाने के बर्तन, दैनिक उपयोग के बर्तन, टेलीविजन एवं कम्प्यूटर आदि भण्डार क्रय नियमों के अधीन निर्धारित की जाने वाली प्रकिया के अनुसार निर्धारित दरों पर अनावर्ती मद में कलेक्टर द्वारा क्रय किए जाएंगे:

परंतु कलेक्टर 5 वर्ष पश्चात्, आवश्यकता के अनुसार पलंग, टेलीविजन, कम्प्यूटर आदि, जिन्हें बदले जाने की आवश्यकता हो, उन्हें क्रय कर सकेगा/बदल सकेगा:

परंतु यह और कि वस्त्र, बिस्तर (तकिया, कम्बल/रजाई, चादर आदि), खाना पकाने के बर्तन एवं दैनिक उपयोग के बर्तन आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ष क्रय किए/बदले जा सकेंगे"।

5. नियम 11 में:–

(1) खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ञ) निराश्रितों से संबंधित शासकीय संस्थाओं की अवसंरचना के सुधार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करना तथा निःशक्जतन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन संस्थाओं के अनुरक्षण पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति करना"।

(2) खण्ड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(ड) नियम 3 में उल्लिखित निराश्रित को पेंशन, आर्थिक सहायता प्रदान करना"।

6. नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"12. विभिन्न स्तरों पर निराश्रित निधि के उपयोग का अनुमोदन–

(1) नियम 11 के प्रयोजन के लिए, संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय

एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग विहित भुगतान प्रकिया के अनुसार निराश्रित निधि में से एक बार में या एक माह के भीतर रुपए 25,000/– तथा निराश्रित निधि ई–भुगतान तथा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पूरे वित्तीय वर्ष में अधिकतम रुपए 2.50 लाख की सीमा तक ब्याज की रकम का उपयोग कर सकेगा।

(2) कलेक्टर, नियम 11 के प्रयोजन के लिए किसी एकल संस्था/अभिकरण के प्रबंधन या कार्य के प्रयोजन के लिए निराश्रित निधि की जमा पर अर्जित ब्याज की रकम एक बार में दो लाख रुपए की सीमा तक विहित प्रकिया के अनुसार निराश्रित निधि ई–पेमेंट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कर सकेगा। उक्त रकम से अधिक के विहित खर्च/आहरण के लिए प्रस्ताव, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण की लिखित सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही मंजूर किया जा सकेगा।

(3) नियम 11 में उल्लिखित (क) से (ठ) तक के प्रयोजनों के लिए, निराश्रित निधि की मूल/ब्याज की रकम के उपयोग के लिए कलेक्टर से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण 10 लाख रुपए की सीमा तक मूलधन/ब्याज की राशि से निराश्रित निधि ई–भुगतान एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से व्यय करने की मंजूरी दे सकेगा तथा उक्त रकम से अधिक की दशा में, मंजूरी राज्य शासन के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दी जाएगी परंतु नियम 11 के खण्ड (ड) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए व्यय की स्वीकृति केवल राज्य शासन द्वारा दी जा सकेगी।

(4) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा कृषि उपज मंडियों से प्राप्त होने वाली राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक खाते में जमा होगी तथा जिला कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ई.पी.ओ. के माध्यम से इस खाते को संधारित करेंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से लेखा रिपोर्ट तैयार कराकर तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा इसको भेजेंगे तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा अनिवार्यतः लेखा संपरीक्षण कराएंगे।

(5) नियम 11 के प्रयोजन के लिए, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण एक बार में अधिकतम रुपए 10.00 लाख की राशि तक ई.पी.ओ. को स्वीकृत कर संबंधित को ई–भुगतान कर सकेंगे। रुपए 10.00 लाख से अधिक के ई–भुगतान करने के लिए सामाजिक न्याय एवं निःशक्जन कल्याण विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

7. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"13. अंतःवासी की अंत्येष्टिः–

(1) आश्रम के कीसी अंतःवासी की मृत्यु होने की दशा में उसका शव उसके परिवार के सदस्यों को या उसके निकटतम संबंधियों को सौंप दिया जाएगा :

परंतु यदि सूचना प्राप्त होने के पश्चात् 24 घंटे तक शव प्राप्त करने के लिए कोई संबंधी/व्यक्ति नहीं आता है या निराश्रित के परिवार का कोई सदस्य अथवा संबंधी नहीं है, तो आश्रम में उपलब्ध निधि से उसकी अंत्येष्टि उसके धर्म के अनुसार की जाएगी, किन्तु ऐसा व्यय रुपए 5000/– (पांच हजार रुपए मात्र) से अधिक का नहीं होगा।

(2) कलेक्टर द्वारा ऐसे व्यक्ति के शव की, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहा हो एवं जो निराश्रित की परिभाषा में आता हो, अंत्येष्टि हेतु निराश्रित निधि में से 5000/– (पांच हजार रुपए) के व्यय की मंजूरी दी जा सकेगी।

8. नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"13 क आपात्कालीन सहायता– निःशक्तजन, निराश्रित एवं वृद्ध व्यक्तियों को संकट की स्थिति में उपचार एवं जीवन निर्वाह हेतु तत्काल आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यता होने पर, सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री के अनुमोदन पर राज्य निराश्रित निधि से ई–भुगतान के माध्यम से रुपए 5000/– (पांच हजार मात्र) तक की आर्थिक सहायता, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा प्राधिकृत संचालनालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा निराश्रित निधि ई–भुगतान एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रयोजन हेतु संगृहीत राशि का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा"।

9. नियम 19 में, उप–नियम (1) में:–

(क) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(कक) निराश्रित निधि खाता– निराश्रित निधि के लिए राज्य स्तर पर राष्ट्रीय बैंक में खाता संचालित किया जाएगा।

(कख) मंडियों से प्राप्त होने वाली समस्त आय केवल राज्य स्तरीय सिंगल बैंक खाते में ही जमा की जाएगी।

(कग) जिलावार प्राप्त समस्त आय एवं व्यय का पृथक–पृथक लेखांकन संचालनालय स्तर पर किया जाएगा। जिसमें ब्याज से प्राप्त आय संबंधित जिले की मंडियों से प्राप्त आय के अनुपात में जिलावार विभाजित कर लेखांकित की जाएगी।

(कघ) नियम 11 में उल्लिखित प्रायोजनों के लिए निराश्रित निधि राज्य स्तरीय खाते से ही निराश्रित निधि ई–भुगतान एवं प्रबंधन प्रणाली पर ई.पी.ओ. के माध्यम से नियम 12 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् भुगतान की जाएगी"।

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ख) उपरोक्त कंडिका (कख) के अनुसार प्राप्त आय की कुल 20 प्रतिशत राज्य निराश्रित निधि के रुप में लेखांकित की जाएगी तथा इसी अनुपात में राज्य निराश्रित निधि के ब्याज को भी लेखांकित किया जाएगा"।

(ग) खण्ड (घ) का लोप किया जाए।

(घ) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ड) निराश्रित निधि के राज्य स्तरीय खाते, आयुक्त/संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा संचालित किए जाएंगे"।

(2) उप–नियम (2) में:–

(क) खण्ड (क) का लोप किया जाए।

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(ख) निराश्रित निधि में जमा रकम तथा उसके व्यय वित्तीय वर्ष के अवसान के तीन माह की कालावधि के भीतर चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षित की जाएगी तथा मध्यप्रदेश महालेखा संपरीक्षक के कार्यालय से भी अनिवार्यतः लेखा संपरीक्षण कराना होगा"।

10. नियम 20 में, उप–नियम (2) का लोप किया जाए।

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019

क्रमांकः एफ–1– 01 /2019/26–2 समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य स्तरीय इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार नियम 1992 में राज्य शासन एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1	प्रस्तावना एवं उदेश्यः– राज्य में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को प्रति वर्ष एक राज्य रतरीय समाज सेवा पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया हैं, प्रदेश में निवास कर रहे दिव्यांग, वृद्ध दुर्बल एवं निराश्रित निर्धनों, पीडित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने एवं महिमा मंडित करने के उददेश्य के तहत इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जायगा । इस पुरस्कार का नाम इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार होगा ।	प्रस्तावना एवं उदेश्यः– राज्य में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों/संस्थाओं को प्रति वर्ष एक राज्य रतरीय समाज सेवा पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया हैं, प्रदेश में निवास कर रहे दिव्यांग, वृद्ध दुर्बल एवं निराश्रित निर्धनों, पीडित एवं शोषित महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करने वाले स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं/संस्थाओं को उनकी वैयक्तिक सेवा और योगदान को प्रोत्साहित करने एवं महिमा मंडित करने के उददेश्य के तहत इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार दिया जायगा । इस पुरस्कार का नाम इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार होगा ।
2	**पुरस्कार का स्वरूपः–** मध्यप्रदेश इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार के अन्तर्गत रूपये 1.00 लाख नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायगा । पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य में समाज सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवकों को प्रति वर्ष राज्य शासन द्वारा नियत निर्णायक मण्डल द्वारा चयन करने पर दिया जायेगा।	**3 पुरस्कार का स्वरूपः–** मध्यप्रदेश इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार के अन्तर्गत रूपये 10.00 लाख नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायगा। पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य में समाज सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवकों/संस्थाओं को प्रति वर्ष राज्य शासन द्वारा नियत निर्णायक मण्डल द्वारा चयन करने पर दिया जायेगा ।
3	इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार नियम 1992 में समाज सेवी का उल्लेख हैं ।	इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार नियम 1992 में समाज सेवी के साथ–साथ संस्था को भी जोडा जाता हैं।

उपरोक्तानुसार इन्दिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार नियम 1992 में संशोधन किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म–2019, 10491.— भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन, तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कण्डिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से म.प्र. राजपत्र दिनांक 15 फरवरी 2019 द्वारा **"निर्माण पीठा श्रमिक शेड आश्रय योजना 2019"** अधिसूचित की गई थी; में एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

अर्थात :–

(1) योजना की कंडिका **(च)** – निर्माण एजेंसी – योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार की संस्था GeM (Goverment e Market Place) (सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) को शेड निर्माण संबंधी कार्यादेश जिला श्रम कार्यालयों द्वारा दिया जायेगा।

के स्थान पर :–

(1) योजना की कंडिका **(च)** – निर्माण एजेंसी – योजना के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार की संस्था GeM (Goverment e Market Place) (सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)/ मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (MPLUN) को शेड निर्माण संबंधी कार्यादेश जिला श्रम कार्यालयों द्वारा दिया जायेगा।

स्थापित किया जाता है।

एल. पी. पाठक, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020